न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2021 (उदयपुर आर्डर)

1. मनीष सपरा पिता ओमप्रकाश जी सपरा, निवासी तिरूपति विहार, पुलां, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. विजय सपरा पिता हरीश जी सपरा, निवासी शक्ति नगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

रामलाल पिता मोती जी, निवासी बड़गांव, हाल निवासी ग्राम बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव दिनांक 02.03.2021 प्रकरण संख्या 8/2019

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 19–07–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव में आराजी नंबर 1585 व 1582 कुल किता 2 रकबा 0.3450 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का 7/9 व विपक्षी का 2/9 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षी आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा थाना अम्बामाता में दर्ज करवायी गयी है, फिर भी विपक्षी मौके पर विवाद करते हैं। अतः विपक्षी को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें न किसी अन्य को करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:31 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–03–2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी विवादित भूमि के सहखातेदार हैं एवं प्रार्थीगण विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अपीलान्टगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है एवं सहखातेदारी की भूमि में उसके हिस्से की हद तक कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्टगण के हक में हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित नहीं कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि पक्षकारों की सहखातेदारी की भूमि है एवं स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन विवाति भूमि सहखातेदारी की भूमि माना है एवं आर.आर.डी. 1964 पेज 88 को उद्धरत करते हुए अंकित किया है कि ''साधारणतया एक सहअभिधारी किसी दूसरे सहअभिधारी के विरूद्ध व्यदेश प्राप्त नहीं कर सकता है इसके लिए सर्वश्रेष्ट उपच[illegible]न वाद लाना है।'' किन्तु अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि प्रार्थीगण का विभाजन का वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में यदि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो भूमि के खुर्द–बुर्द होने की सम्भावना रहती है, जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद उत्पन्न होने की आशंका रहती है, जिससे मूल वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट का यह कथन कि अपीलान्टगण ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित नहीं कराया है, उचित नहीं है, क्योंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक ईच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–03–2021 अपास्त जाता है तथा ताफैसला मूलवाद रेस्पोन्डेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलान्टगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके पर राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनायी रखी जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:31 IST
Reason: SelfAttested